निदेशक, कृषि उत्पादन मंडी समिति व अन्य

बनाम

मेसर्स रामकिशन दयाराम एण्ड कम्पनी

सितम्बर 19, 2007

(एस.बी. सिन्हा व एच.एस. बेदी, जे.जे.)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964- एस.एस. 2(एफ.), 17(iii)(3) - बाजार शुल्क तेंदू पत्तों के व्यापार पर भुगतान का दायित्व अभिनिर्धारित किया गया कि बाजार शुल्क के भुगतान का दायित्व व्यापारी पर है न कि खरीददार पर निगम इस दायित्व से इस आधार पर नहीं बच सकता कि उसने खरीददार से उसे नहीं वसूला है। उत्तर प्रदेश राज्य ने उत्तर प्रदेश वन निगम को तेंदू पत्तों के व्यापार हेतु अपना एजेंट नियुक्त किया। एक मुकदमे में, जिसमें अपीलार्थी कमेटी द्वारा निगम से बाजार शुल्क उद्गृहीत किया जाना चैलेंज किया गया, दोनों पक्षों के मध्य ये समझौता हुआ कि निगम बाजार शुल्क खरीददारों से वसूल करेगा और अपीलार्थी के पास जमा करेगा। निगम ने शुल्क एकत्रित नहीं किया। अपीलार्थी ने रेस्पोंडेंट खरीददार के विरूद्ध नोटिस जारी किए जिनमें धारा 17(iii)(4) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 के तहत बाजार शुल्क की मांग की गई। रेस्पोंडेंट ने रिट याचिका दायर की जिसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। अतः ये अपीलें प्रस्तुत की गई।

इन अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया-

1. उत्तर प्रदेश वन निगम व्यापारी था जो कि अपने बाजार शुल्क के भुगतान के दायित्व से बच नहीं सकता था, केवल इसलिए कि अपीलार्थी साथ ही साथ यू.पी. राज्य उस रिट याचिका में हार गए जो कि यू.पी. वन निगम ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जो कि स्वयंमेव अपीलार्थी को यह अधिकार नहीं देती कि वह वापस जाए और प्रत्यर्थी से बाजार शुल्क उद्गृहीत करे। (पैरा 8 व 12) (590-सी, 592-डी)

2. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 की धारा 2(एफ) के अंतर्गत "व्यापारी" शब्द की परिभाषा ये प्रावधान नहीं करती कि बाजार शुल्क के उद्ग्रहण के उद्देश्य से सभी व्यापारी अनुज्ञप्ति धारी व्यापारी ही होने चाहिए। अधिनियम की धारा 17 की उपधारा(iii) के खण्ड(3) का परन्तुक, जो कि यद्यपि 1999 के अधिनियम सं. 4 द्वारा अधिनियमित किया गया है, परंतु इसे भूतलक्षी प्रभाव व प्रचलन दिया गया है। ये प्रावधान करता है कि व्यापारी बाजार शुल्क के भुगतान हेतु उत्तरदायी है तथा उसे इस दायित्व से इस आधार पर मुक्त नहीं किया जाएगा कि उसने इसे खरीददार से नहीं वसूला है। (पैरा 11) (592-बी-सी)

सिविल अपीलीय न्यायाधिकारिताः सिविल अपील सं. 3732/2001

इलाहबाद उच्च न्यायालय के सिविल विविध रिट याचिका सं.

32828 ऑफ 1991 में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 03.02.2000 से।

साथ में

सिविल अपील नं. 3079/2004

शोभा दीक्षित, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रदीप मिश्रा व दलिप कुमार ध्यानी, अपीलार्थी-गण के लिए।

एम.इंद्राणी (अभिजीत सेनगुप्ता के लिए) प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय एस.बी. सिन्हा, जे द्वारा पारित किया गया।

अपीलार्थी इलाहबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा सिविल विविध रिट याचिका सं. 32828/1991 में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 03.02.2000 से व्यथित व असंतुष्ट है, जिसमें रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका यह आदेशित करते हुए स्वीकार की गई-

> "याचिका सफल रही। याचिकाकर्ता का तर्क कि वह यू.पी. वन निगम से की गई तेंदू पत्तों की खरीद पर बाजार समिति को बाजार शुल्क देने हेतु उत्तरदायी नहीं है, स्वीकार किया जाता है। संबंधित बाजार समिति को आदेश दिया जाता है कि वह वर्ष 1991-92 के लिए बाजार शुल्क के निमित्त जमा 99,310/- रुपये याचिकाकर्ता को पुनर्भुगतान करे तथा इस न्यायालय के अंतरिम आदेष दिनांकित 11.11.1991 के अनुक्रम में उस पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष का ब्याज भी भुगतान करे।"

2. इस मामले के मूल तथ्य विभाजित नहीं है। तेंदू पत्तों का व्यापार यू.पी. सरकार द्वारा संभाला जाता है। इसमें इसका एकाधिकार है। उत्तर प्रदेश राज्य ने यू.पी. वन निगम को अपना एजेंट नियुक्त किया है। अपीलार्थी द्वारा निगम पर बाजार शुल्क लगाने की वैधता को प्रश्नगत करते हुए एक रिट याचिका दायर की गई, अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर भी कि निगम को कोई सेवा नहीं दी गई अतः बाजार शुल्क उद्ग्रहण योग्य नहीं है।

3. यह पक्षकारों का स्वीकृत मामला है कि उक्त रिट याचिका निर्णय व आदेश दिनांकित 20.01.1983 द्वारा एडमिट की गई। इसके विरूद्ध एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई। इस न्यायालय के समक्ष उक्त एस.एल.पी. के पक्षकारों ने ये समझौता किया कि यू.पी. वन निगम खरीददारों से बाजार शुल्क इकट्ठा करेगा और उसे अपीलार्थी के पास जमा करेगा। किंतु यू.पी. वन निगम ने निर्धारण वर्ष 1991-92 के लिए खरीददारों से कोई बाजार शुल्क वसूल नहीं किया। धारा 17 की उपधारा (iii) के खण्ड(4) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 पर विश्वास करते हुए अपीलार्थी द्वारा खरीददारों के विरूद्ध मांग नोटिस जारी कर दिए गए। चूंकि मांग नोटिस रेस्पोंडेण्ट के विरूद्ध जारी किए गए, उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई जो कि, जैसा कि उपरोक्त है, प्रश्नगत निर्णय दिनांक 03.02.2000 द्वारा स्वीकार कर ली गई। यह विवादित नहीं है कि बाजार शुल्क के माध्यम से कुल एकत्रित

की जाने वाली रकम 99,310/- रुपए थी। रेस्पोंडेण्ट ने यह रकम उच्च न्यायालय के समक्ष जमा कर दी परंतु निर्णय पारित किए जाने के उपरांत यह रकम उसे वापस लौटा दी गई है।

4. लघु प्रश्न जो कि हमारे विचारण के लिए उत्पन्न हुआ है वह यह है कि क्या हस्तगत मामले में धारा 17 की उपधारा (iii) का खण्ड(3) लागू होता है अथवा नहीं।

5. श्रीमती शोभा दीक्षित, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता जो कि अपीलार्थी की ओर से उपस्थित है, ने अपील के समर्थन में यह तर्क दिया है कि चूंकि रेस्पोंडेण्ट अनुज्ञप्ति धारी व्यापारी नहीं है, धारा 17 की उपधारा (iii) का खण्ड(3) हस्तगत मामले में लागू नहीं होगा। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, चूंकि उक्त खण्ड के प्रावधान अनुसार खरीददार पर विधिक दायित्व अधिरोपित किया गया है, अतः उच्च न्यायालय ने प्रश्नगत निर्णय पारित करने में भूल की है।

6. रेस्पोंडेंट की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता यद्यपि प्रश्नगत निर्णय का समर्थन करते हैं।

7. उत्तर प्रदेष कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 का अधिनियमन कृषि उत्पादन की खरीद व बेचान को नियमित करने हेतु तथा इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य में बाजारों की स्थापना तथा उन पर अधीक्षण व नियंत्रण के लिए किया गया है।

8. अधिनियम की धारा 2(एफ) “समिति” को परिभाषित करती है

जिसका अर्थ है वहां घटित समिति। "व्यापारी" को अधिनियम की धारा 2(वाई) में परिभाषितकिया गया है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति जो कि व्यापार के सामान्य अनुक्रम में स्वामी या एक या अधिक स्वामियों के एजेंट के रूप में कृषि उपज की खरीद या बेचान के व्यापार में लगा हुआ हो तथा इसमें कृषि उपज की प्रोसेसिंग में लगा हुआ व्यक्ति भी सम्मिलित है। निर्विवादित रूप से यू.पी. वन निगम एक व्यापारी है।

9. धारा 9 बाजार क्षेत्र की घोषणा के प्रभावों के बारे में प्रावधान करती है, जिसकी उपधारा 2 यह है कि -

> "कोई भी व्यक्ति संबंधित कमेटी से इसके लिए प्राप्त लाईसेंस की शर्तों के अंतर्गत व पालना में के अतिरिक्त किसी भी प्रधान बाजार यार्ड या उप बाजार यार्ड में व्यापारी, दलाल, कमीशन एजेंट, वेयर हाउस मेन, वजन कर्ता, पल्लेदार व अन्य किसी हैसियत में जो कि निर्धारित की जाए, व्यापार या कार्य नहीं करेगा।"

10. धारा 17 समिति की शक्तियां बताती है धारा 17 की उपधारा (iii) समिति को शुल्क के उद्ग्रहण हेतु सशक्त करती है, जिसका माध्यम व तरीका निम्नवत् होगा-

"(1) यदि उपज कमीशन एजेंट के माध्यम से बेची जाती है, तो कमीशन एजेंट खरीददार से बाजार शुल्क व विकास सेस प्राप्त कर सकता है तथा उसे समिति को भुगतान करने हेतु दायी होगा।

(2) यदि व्यापारी द्वारा उपज सीधे ही उपजकर्ता से खरीदी जाती है तब व्यापारी बाजार शुल्क व विकास सेस समिति को भुगतान करने हेतु दायी होगा।

(3) यदि उपज एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी से खरीदी जाती है, तो बेचने वाला व्यापारी इसे खरीददार से वसूल सकता है तथा बाजार शुल्क व विकास सेस समिति को भुगतान करने हेतु दायी होगा, परंतु किसी निर्णय, डिक्री या न्यायालय के किसी आदेश में इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, उपज बेचने वाला व्यापारी समिति को बाजार शुल्क के भुगतान हेतु दायी होगा तथा 12 जून, 1973 से भुगतान हेतु हमेशा दायित्वाधीन समझा जाएगा तथा इस दायित्व से इस आधार पर मुक्त नहीं होगा कि उसने खरीददार से इसे नहीं वसूला है परंतु और भी कि उपज बेचने वाला व्यापारी विकास सेस के भुगतान के दायित्व से इस आधार पर मुक्त नहीं होगा कि उसने इसे खरीददार से नहीं वसूला है।

(4) ऐसी उपज के विक्रय की किसी अन्य मामले में, खरीददार बाजार शुल्क व विकास सेस समिति को भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा परंतु किसी विशिष्ट कृषि उपज की खुदरा बिक्री, जहां की बिक्री उपभोक्ता को केवल उसके घरेलू उपभोग के लिए की जाती है, पर कोई बाजार शुल्क व विकास सेस उद्गृहीत व एकत्रित नहीं किया जाएगा परंतु और कि इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए, समिति अपने चुनाव पर, या जैसा भी मामला हो, कमीशन एजेंट व्यापारी या खरीददार जिसने कि अनुज्ञप्ति

प्राप्त कर ली है, वह किसी विशिष्ट कृषि उपज के संबंध में किसी कृषि वर्ष के लिए अपने द्वारा भुगतान योग्य बाजार शुल्क या विकास सेस के बदले में एकमुश्त राशि स्वीकार कर सकता है, ऐसी अवधि के लिए तथा उन शर्तों पर जैसा कि राज्य सरकार अपने अधिसूचित आदेश द्वारा निर्धारित करे परंतु यह और भी कि ऐसी कृषि उपज जिस पर बाजार शुल्क या विकास सेस किसी अन्य बाजार क्षेत्र में उद्गृहीत कर लिया गया है, उसके विक्रय संव्यवहार पर कोई बाजार शुल्क या विकास सेस उद्गृहीत नहीं किया जाएगा, यदि व्यापारी निर्धारित फॉर्म व तरीके में ये घोषणा या प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि उस विशिष्ट कृषि उपज पर बाजार शुल्क या विकास सेस अन्य बाजार क्षेत्र में पहले ही उद्गृहीत कर लिया गया है।

11. इस न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न निर्णयों का समर्थन लेते हुए व उनके आधार पर श्रीमती दीक्षित ने हमारे समक्ष यह प्रस्तुत किया है कि एक व्यापारी के पास अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। उक्त शब्द की परिभाषा का स्पष्ट अवलोकन व मनन, हमारे मत में यह प्रावधान नहीं करता कि बाजार शुल्क के उद्ग्रहण हेतु सभी व्यापारी अनुज्ञप्ति धारी हो। धारा 17 की उपधारा (iii) के खण्ड(3) का परंतुक, यद्यपि 1999 के अधिनियम सं. 4 द्वारा अधिनियमित किया गया था, किंतु उसे भूतलक्षी प्रभाव व प्रचलन दिया गया है। ये प्रावधान करता है कि व्यापारी बाजार शुल्क के भुगतान हेतु उत्तरदायी है तथा उसे इस दायित्व से इस आधार पर मुक्त नहीं किया जाएगा कि उसने इसे खरीददार से नहीं

वसूला है।

12. मामले के दृष्टिकोण में हमारा यह मत है कि यू.पी. वन निगम केवल इसलिए बाजार शुल्क के भुगतान के अपने दायित्व से बच नहीं सकता था कि अपीलार्थी तथा यू.पी. राज्य भी यू.पी. वन निगम द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में हार गए हैं, जो कि स्वयं में, हमारे मत में अपीलार्थी को यह अधिकार नहीं देती कि वह वापस जाए और प्रत्यर्थी से बाजार शुल्क उद्गृहीत करे।

13. उपरोक्त वर्णित कारणों से, हमारा यह मत है कि प्रश्नगत निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है। इस अनुसार अपीलें खारिज की जाती है। कोई खर्चें नहीं।

के.के.टी. अपीलें खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी गरिमा बंसल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।